कार्यवाही विवरण

मेसर्स महामाया मिनरल्स (पार्टनर–श्रीमती सतरूपा सिन्हा), ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग खसरा क्रमांक–867, 874, 875, 876, 877, 878 (पार्ट), 879 (पार्ट), 881, 882, 883, 884 (पार्ट), 887/1, 888/1 एवं 888/2, कुल क्षेत्रफल–4.55 हेक्टेयर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–49,950 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 01.11.2021 को समय प्रातः–11:30 बजे, स्थल–शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स महामाया मिनरल्स (पार्टनर–श्रीमती सतरूपा सिन्हा), ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग खसरा क्रमांक–867, 874, 875, 876, 877, 878 (पार्ट), 879 (पार्ट), 881, 882, 883, 884 (पार्ट), 887/1, 888/1 एवं 888/2, कुल क्षेत्रफल–4.55 हेक्टेयर में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–49,950 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों द पायोनियर, नई दिल्ली दिनांक 30.09.2021 एवं हरिभूमि, रायपुर दिनांक 30.09.2021 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 01.11.2021 को शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर ईस्ट विंग न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत ढौर, जिला–दुर्ग, मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, आपत्ति एवं टीका– टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई सुझाव, विचार, आपत्ति एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 01.11.2021 को प्रातः 11:35 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल–शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग द्वारा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने परियोजना के संबंध में अपना पक्ष, सुझाव, टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री हरप्रसाद आडिल, ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ आदरणीय, जो महामाया मिनरल्स हे ओखर आज पर्यावरण स्वीकृति के लिए मैं अपन तरफ से स्वीकार करत हों, अच्छा चीज हे। एखर से गांव वाले मन ल रोजगार उपलब्ध होहि कबार कि हमर गांव में बेरोजगार हे, काम के अभाव हे ऐखर सेती हम आशा करथन कि ऐखर खुले से हमर गांव के मन ल काम मिलही। बहुत से टेक्नीकल आदमी हे उमन ल भी काम मिलही। ऐखर सेती हम समर्थन करथन। दूसरा बात ये हे कि ऐखर खुले से हमर गांव के जो इंकम हे आय वो भी बडहि। जब से यहां खदान खुले हे ओखर से जो रॉयल्टी के पईसा आथे पंचायत में वो पईसा ला अन्य मद में हमर ग्राम पंचायत के सियान में खर्चा करथे, गांव में बिजली लगथे, साफ–सफाई एकर सेती मैं एकर समर्थन कर थव। धन्यवाद।

2. **श्री परसराम साहू, ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पण्डाल ह लगे हे, ये ह शासकीय म लगे हे कि प्रायवेट म एकर जवाब चाहिए। जैइसे की खदान खुलही तालाब पार म, खदान खुलही त डम्पर चलही, जेकर से जल छिड़काव नई करत हे ऐ मन ह। ये मन ह तरीया ल भी ले लीन है, धन्यवाद।

3. **श्री नरेश साहू, ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ हम तो आम जनता हैं। गांव का सरपंच और उपसरपंच सुधर जायेगा तो गांव सुधर जायेगा, तो गांव का तरक्की हो जाएगा धन्यवाद।

4. **श्री केशव राम साहू, ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ मेडम जी जो जगह गांव म देवत हे खदान खुले बर, ओकर पहली गांव में 500 पेड़ लगाके देवे, धन्यवाद।

5. **श्रीमती दुलारी यादव, सरपंच, ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ जनसुनवाई में पहुंचे समस्त अधिकारीगण, जनपद सदस्य, पंच सरपंचगण समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत है। मेसर्स महामाया मिनरल्स द्वारा अनुरोध किया गया है कि चूना पत्थर उत्खनन खदान खुलने से गांव में रॉयल्टी आएगी जिससे गांव का विकास कार्य किया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण किया जाएगा। ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

6. **श्री राजकुमार मिश्रा, वार्ड 8 पंच , ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां पर लोक सुनवाई जो आयोजित की गई है मे0 महामाया मिनरल द्वारा, पर्यावरण के संबंध में दो शब्द कहूंगा क्योंकि और भी जनप्रतिनिधिगण हैं। उनके द्वारा दावा–आपत्ति, आवेदन करना है। उसके लिए आपके द्वारा आमंत्रण दिया गया है। पंच होने के नाते गांव का नागरिक होने के नाते कहना चाहूंगा कि एक उद्योग लगने जा रहा है। ग्राम के विकास के लिए अच्छी शुरूआत है। बेरोजगारों के लिए रोजगार का साधन मुहैया होगा साथ ही पर्यावरण से संबंधित पौधा लगाने का उसको शासन की योजना के हिसाब से सभी क्रेशरों को खदानों को पर्यावरण की तरफ से हिदायत दी जाती है। जरूरत है उनकी सुरक्षा का जिसके लिए कहीं–न–कहीं कोई चूक हो जाती है। खूले में मवेशी घूम रहे हैं, पानी का अभाव हो जाता है, कोई चौकीदार नहीं होता है। सडक़ के अगल–बगल में भी वृक्षारोपण का कार्य होता है तो भावी भविष्य को देखते हुए महोदय से निवेदन है कि ऐसी संरक्षित जगह में वृक्षारोपण किया जाए जो आने वाली पीढ़ी के लिए मददगार हो और उनको लगे कि गांव में निवास करते हैं और उनकी अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समस्त ग्राम वालों की तरफ से एक अनुरोध करूंगा कि जैसे शिकायत होता है सारा काम मशीनरी से हो जाता है। तो पढ़े–लिखे शिक्षित बेरोजगारों को काम नहीं मिलता इन सब चीजों का जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं, ऑनलाईन का समय चल रहा है तो थोड़ा महत्व यहां के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको दिया जाए। दीपावली की हार्दिक शुभकामनायें, धन्यवाद।

7. **श्री रामलाल साहू, ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

आज छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा आयोजित लोक सुनवाई – हमारे ग्राम पंचायत, ग्राम–ढौर में बहुत सी समस्याएं हैं। अभी जो सड़क बनी है उसके किनारे नाली का अभाव है। दूसरी बात है कि बहुत बड़ा बांध बना हुआ है उसमें नाली का प्रॉबलम है। 100 से 200 एकड़ में अपासी नहीं हुआ है, पूरा मलमा जाम है इसलिए कुछ पानी को नाला में बहाया जाता है। किसान के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत के द्वारा ये कामचोरी की जा रही है। हमारे ग्राम पंचायत की मुख्यधारा में रखें कि हर साल साफ–सफाई का काम होना चाहिए और अंतिम क्षोर तक पानी पहुंचाना चाहिए इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत जय छत्तीसगढ़ धन्यवाद।

8. **श्रीमती त्रिवेणी बंजारे, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम– गोन्डपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ आज हमारे गांव में आए जितने भी अधिकारीगण हैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आप सभी का स्वागत है। स्थापना दिवस की भी आप सभी को बधाई। आज की जनसुनवाई में महामाया मिनरल चूना पत्थर खदान खुलने के लिए आवेदन आया है। इसके खुलने से क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि खदान के खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे पंचायत को रॉयल्टी भी आएगी जिससे गांव का विकास होगा। खदान वालों से अनुरोध है कि खदान क्षेत्र में, गांव में वृक्षारोपण किया जाए, समय–समय पर जल का छिड़काव भी होना चाहिए ताकि जो डस्ट हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं वह कम हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो मैं महामाया मिनरल खदान खुलने की अनुमति देती हूं, सहमत हूं। धन्यवाद।

9. **श्री वैभव साहू, ग्राम– बड़गांव, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं इस महाहाया मिनरल में लगभग दो वर्षों से मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। मैं इस चूना पत्थर खदान खुलने का समर्थन करता हूं।

10. **श्रीमती कौशिल्या बाई, ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ मोर आवास आ हे, जेकर एक किश्त आये है, दूसरा किश्त आए नहीं हे एकर बर मैं आप मन से विनती करत हो। भारत माता की जय।

11. **श्री संतोष कुमार वर्मा, ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरे माँ का विधवा पेंशन नहीं मिला है जिसे दिलाने का अनुरोध है।

12. **श्री मनीष कुमार चतुर्वेदी, ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

चूना पत्थर खदान नहीं खुलना चाहिए कोई जरूरत नहीं है। रायल्टी के पईसा से कोई विकास कार्य नहीं होवय, आऊ कोई दूसरा बिजनेस नहीं हे का ये मन के पास? बाडी खोल सकथे। रॉयल्टी के पईसा ले कोई विकास के काम नहीं होवय। पंचायत में धान के पईसा दे बर नहीं रहाय कहां से गांव के विकास के बात करथे। यहां मजदूर के कोई काम नहीं हे, पूरा मशीन के काम हे कोई मतलब नहीं हे चूना पत्थर खदान खोले के हम आपत्ति करथन। धन्यवाद।

13. **श्री गंगा प्रसाद साहू, ग्राम– ढौर, जिला–दुर्ग।**

➢ ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि पर्यावरण के रोजगार मिलेगा। 20 एकड़ का तालाब है जिसके पास में ही खदान खुलेगा तो जमीन का दोहन तो होगा ही पानी का भी दुष्प्रयोग होगा। ये कैसा विकास है मैंडम शासकीय जमीन है वहां पर खदान खुलेगा तो सामने 20 एकड़ के जमीन में तालाब है उसमें निस्सारित होता है तो उस जमीन का दोहन तो होगा ही और साथ ही उस पानी का कितना दुष्परिणाम होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल अन्यथा है यह नहीं होना चाहिए क्योकि 20 एकड़ तालाब का पानी निस्सारित होता है तो तालाब प्रदूषित हो जाएगा। नहाने का कोई स्थान नहीं रहेगा, जीव–जन्तु, जानवर, मवेशी सभी उस पानी को पीते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया पर्यावरण संरक्षण से आप लोक सुनवाई का कार्यक्रम रखे हैं तो कृपया इस ओर ध्यान दें।

14. **सीमा ठाकुर ग्राम ढौर, जिला–दुर्ग।**

- खदान खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे वह अपने परिवार का पालन–पोषण करेंगे। इस खदान में पहले गांव के लोगो को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः मैं महामाया मिनरल्स खदान खुलने का सहमति देती हूं। धन्यवाद।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया जो कि निम्नानुसार है :–

- जैसा की गांव के श्री हरप्रसाद आडिलजी ने बोला कि रॉयल्टी के माध्यम से पैसा आएगा तो गांव में बिजली होगी, साफ–सफाई होगी। मैं इनका एप्रिसियेट करता हूं।
- जैसा की साहूजी ने बोला कि पेड लगाए जाएंगे तो पेड़ लगाने का हमने बताया है कि पेड़ प्रथम वर्ष में ही लगाया जाएगा जो लीज क्षेत्र के चारों ओर कांटेदार घेरों में होगा तथा जो इनका एप्रोच रोड है। जो रोड से लगा हुआ है उस सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए जाएंगे।
- रोजगार में गांव के लोगों को ही पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद अगर गांव के लोग नहीं करेंगे तब बाहर के लोगों को लिया जाएगा।
- जैसा की जो तालाब की बात कर रहे हैं तालाब की जो जमीन है क्योंकि यह एक नई खदान है। यह पहले से खुली हुई खदान नहीं है। यह तालाब से 500 मीटर की आसपास की दूरी पर है जिससे तालाब को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका एप्रोच रोड मेन सड़क से लगा हुआ है तो तालाब की तरफ कोई भी गहरी खनन, कोई भी काम नहीं होगा। ये अपने माईंस क्षेत्र से 7.50 मीटर छोड़कर ही माईनिंग करेंगे।
- इसके अलावा जो हमने प्लान बनाया हुआ है गांव में कार्य करने को लेकर उसके लिए जो सरपंचजी होंगे, सचिवजी होंगे या गांव के जो भी वरिष्ठ नागरिक होंगे उनके द्वारा गांव में स्वास्थ्य शिविर का जो केम्प लगना है वह लगाया जाएगा। ये हर साल 25 हजार रूपये का किया जाएगा।
- इसके अलावा गांव के जो स्कूल हैं उनमें टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था या नल लगाने की व्यवस्था की जाएगी।
- जैसा की वॉटर सप्लाई, पानी की सप्लाई करना ताकि गरमी के दिनों में रोड़ में जल का छिड़काव हो सके। उसके लिए 15 हजार रूपये रखे हुए है।

- जो टॉयलेट की व्यवस्था है उसकी लागत है 40 हजार रूपये, वॉटर सप्लाई जो गरमी के दिनों में करनी है उसकी लागत है 15 हजार रूपये और जो ग्रीन बेल्ट डेव्हलपमेंट जो वृक्षारोपण किया जाएगा जो गांव के वरिष्ठ नागरिक सरपंच, सचिव और भी जो गणमान्य नागरिक हैं अगर वह कहीं जगह बताते हैं कि यहाँ वृक्षारोपण करना होना चाहिए तो उसके लिए हमें प्रतिवर्ष 20 हजार रूपये की लागत रखी है।
- प्रतिवर्ष 01 लाख रूपये गांव के उद्धार के लिए, गांव में ये जो काम होंगे उसके लिए हमने रखा हुआ है। जैसे ही माईंस चालू होगी ये सारे काम किये जाएंगे। धन्यवाद।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 31 सुझाव, विचार, आपत्ति एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 14 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक, सुझाव, विचार, आपत्ति एवं टीका–टिप्पणीयां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 48 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 12.20 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–दुर्ग